



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174596

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7914

सन् 2026

अरुण

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : गुलाम फरीद उद्दीन, मो. कमर शाह आलम

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 437 सन् 2026 के अन्तर्गत धारा 333, 191(2), 110, 115(2), 352 और 351(3) बी.एन.एस., थाना-खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत, इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घायल व्यक्ति पर हमला करने में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। कहा जाता है कि घायल व्यक्ति को सात चोटें आई थीं। हालाँकि, किसी भी चोट को जानलेवा नहीं बताया गया है। अनुपूरक चिकित्सीय रिपोर्ट में सिर की चोटों को मामूली बताया गया था। विवेचना के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था, और अब, आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद, हिरासत में पूछताछ या बरामदगी के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों संबंधी कथनों का खंडन नहीं कर सके।
6. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
7. हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम है, लेकिन उसमें उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। घायल के बयान से पता चलता है कि दिनांक 13.05.2026 को सुबह 9:30 बजे दो गुटों के बीच गाली-गलौज हो रही थी। दोनों पक्षकारों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हुआ और कहा जाता है कि अभियुक्त ईदल ने घायल के सिर पर हमला किया। अन्य गवाहों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सिर पर चोट ईदल के हमले से लगी थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
8. न्यायालय की *शुरुआती राय* में, चूंकि दोनों गुटों के बीच झगड़ा चल रहा था, इसलिए आवेदक को प्रकरण में फंसाने या गलत तरीके से फंसाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और अब आवेदक को किसी भी हिरासत में पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं है।
9. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।
10. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।



11. आवेदक - अरुण को आज से तीन हफ्ते के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतदार प्रस्तुत करने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होना होगा, जब तक कि विचारण न्यायालय उसे छूट न दे।

ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

12. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

19 अगस्त, 2026

प्रशांत डी.